कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़

क./ 32 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2014 कोरबा दिनांक 6/1/2015

प्रति,

परियोजना प्रमुख
भारत एल्युमिनियम कंम्पनी लिमिटेड
कोरबा

विषय :– कोरबा में ग्राम कोहड़ीया ,रिस्दी,रिस्दा के खसरा नं. 491/1, 582/1, 207/1, तथा 907 में राजस्व वन भूमि पर जारी किये गये वन अधिकार (एफ.आर.ए.) प्रमाण पत्रों की जानकारी एवं राजस्व वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु अनापत्ति (noc) प्रमाण पत्र बाबत्

संदर्भः– आपका पत्र क0/ 4.7.2014

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । आपके द्वारा ग्राम कोहड़िया ,रिस्दी,रिस्दा के खसरा नं. 491/1, 582/1, 207/1, तथा 907 कुल रकबा 14.209 हे0 भूमि पर 1200 मेगावाट पावर प्लांट से पावर ग्रीड के 765 /400 के.व्ही धरमजयगढ़ (पी.जी.सी.आई.एल.) पुलींग स्टेशन तक 400 के.व्ही पारेषण लाईन का निर्माण हेतु राजस्व वन भूमि पर ब्यपवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् निवेदन किया गया है ।

वन मंडलाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) से प्रतिवेदन प्राप्त । प्रतिवेदन अनुसार पारेषण लाइन निम्नलिखित ग्रामों से गुजरेगी ।

क0	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	आवेदित रकबा	अन्य विवरण
1.	कोंहड़िया	491/1	35.458	3.882	बड़े झाड़ का जंगल
2	–''–	582/1	18.654	3.091	बड़े झाड़ का जंगल
3	रिस्दा	907	56.943	5.349	बड़े झाड़ का जंगल
4	रिस्दी	207/1	65.590	1.886	बड़े झाड़ का जंगल
		कुलरकबा	176.645	14.209	

उक्त राजस्व वन भूमि पर वन अधिकार पत्र वितरण नही किया गया है न ही वितरण हेतु शेष है ।

अतः प्रतिवेदन अनुसार राजस्व वन भूमि(बड़े झाड़ का जंगल) पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

1 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर (बड़े झाड़ का जंगल कुल रकबा 14.209 हे0) 400 के.व्ही.बालको से धरमजयगढ़ (पी.जी.सी.आई.एल.) पुलींग स्टेशन तक लाईन के निर्माण हेतु दी जा रही है । इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जा सकेगा ।

2 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावित होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लियाजाना अनिवार्य होगा ।

3 उक्त पारेषण लाईन के निर्माण से किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी संम्पूर्ण जवाबदार आवेदक संस्थान की होगी ।

4 इस अनुमती के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नही किया जा रहा है ।

5 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय / विभाग से लिया जाना होगा ।

6/1/15

(रीना बाबा साहेब कंगाले)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ0क्र. /33 /भू.अ. /स.अ.भू.अ. /2014 कोरबा दिनांक 06/1/2015

प्रतिलिपि :— 1 वन मंडलाधिकारी कोरबा की ओर पत्र क्र.5838 दिनांक 5.9.14 के संबंध में सूचनार्थ ।

2 अनुविभागीय अधिकारी रा0 कोरबा की ओर सूचनार्थ ।

3 तहसीलदार कोरबा की ओर सूचनार्थ ।

Reena 6/1/15

(रीना बाबा साहेब कंगाले)

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)